मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक डी–15/44/2017/14–3 भोपाल, दिनांक 16 मई , 2018

प्रति

समस्त कलेक्टर्स (म.प्र.)
जिला – .....

विषय :– खरीफ 2017 की मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत भुगतान प्राप्त न होने संबंधी शिकायतों के अविलंब निराकरण बाबत।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास के ज्ञाप क्रमांक डी–15/44/2017/14–3, भोपाल दिनांक 06 सिम्तबर 2017 से खरीफ 2017 की मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना लागू की गई थी।

योजना अंतर्गत चयनित सात जिंसों की विक्रय अवधि जनवरी 2018 में ही समाप्त हो चुकी थी, शेष 01 जिंस तुअर की विक्रय अवधि भी 30 अप्रैल 2018 को समाप्त हो चुकी है। योजना अंतर्गत माह अक्टूबर 2017 में 15 दिवस की अवधि के लिए तदुपरांत माह नवम्बर 2017 से माह मार्च 2018 तक की अवधि के लिए चयनित जिंसों के मॉडल रेट घोषित किये जा चुके है तथा इस आधार पर कृषकों को भावांतर राशि का भुगतान किये जाने हेतु जिला स्तर पर गणना की जाकर भावांतर राशि की मांग प्रेषित किये जाने के निर्देश पूर्व से ही जारी किये गये है। जिलों से प्राप्त मांग अनुसार, राशि भी उपलब्ध करायी गई है।

किन्तु वर्तमान में भी सीएम हेल्पलाईन, सीएमहाउस स्थित कन्ट्रोल रूम तथा मंडी बोर्ड स्थित कन्ट्रोल रूम में कृषकों की भावांतर राशि का भुगतान प्राप्त न होने संबंधी कई शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है तथा जिन पर निराकरण कार्यवाही लंबित है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उक्त ज्ञाप दिनांक 06 सिम्तबर 2017 की कंडिका क्रमांक (18) में उल्लेख अनुसार जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कियान्वयन समिति को कृषकों के भुगतान की कार्यवाही एवं इस संबंध में विवादों के निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का जिला स्तर पर संधारित मूल दस्तावेजों से मिलान एवं सत्यापन उपरांत निराकरण तत्परता से किया जाना है।

अतः आपके जिले में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत विक्रय संव्यवहारों में पात्रतानुसार संबंधित कृषक को भावांतर राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जायें और जिन प्रकरण में कि कृषक को भावांतर राशि की पात्रता नही आती है, उनका जिला स्तर कियान्वयन समिति से निराकरण करवाकर संबंधित शिकायत को नस्तीबद्ध करते हुए उसकी सकारण जानकारी शिकायतकर्ता को प्रदाय की जायें।

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक डी–15/44/2017/14–3 भोपाल, दिनांक 16 मई , 2018

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
2– संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय, भोपाल ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग